भाग 2(अ)

प्रस्तर 1:- अवस्थापना विकास निधि के तहत रु. 46.77 लाख की धनराशि अवरुद्ध रहना एवं रु. 3.24 लाख का व्यय अलाभकारी होना।

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत वर्ष 2010-11 में नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अंतर्गत पार्किंग का निर्माण किया जाना था। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत रु. 156.47 लाख थी। उपर्युक्त कार्य के सम्पादन हेतु दिंनाक 22.09.2010 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिशा-निर्देशों के अनुसार शासन द्वारा केवल रु. 100.00 लाख (एक करोड़ मात्र) निर्गत किए जाने थे एवं अवशेष धनराशि (रु. 56.47) लाख नगर पालिका परिषद को अपने स्रोतों से वहन की जानी थी तथा शासन द्वारा कोई अतिरिक्त स्वीकृत प्रदान नहीं की जानी थी। दो मंजिला पार्किंग एवं दुकानों का निर्माण बागेश्वर में गोमती पुल के निकट किया जाना एवं दुकानों का निर्माण बागेश्वर में गोमती पुल के निकट किया जाना था। उपर्युक्त कार्य के सम्पादन हेतु शासन द्वारा प्रथम किश्त के रुप में रु. 50.00 लाख की धनराशि दिनांक 10.01.2011 को कार्यालय नगर पालिका परिषद को निर्गत की गई। वर्ष 2013 में आपदा आने के बाद मा. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये कि नदी तल से 200 मीटर की परिथि में पक्के निर्माण कार्य को निषिद्ध किया गया है जिस कारण पार्किंग एवं काम्पलैक्स हेतु अनयंत्र भूमि/कार्यस्थल के चयन हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्य के निर्माण हेतु गरुड़ मोटर मार्ग पर ठाणे के समीप कार्य स्थल का चयन किया गया। शासन के पत्र संख्या 1956/आईवी(2)-श. वि.-2016-02 (मु. म.घो.)09 दिनांक 08-11-2016 के द्वारा शासन द्वारा दोबारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी जिसमें रु. 149.66 लाख का आगणन स्वीकृत कराया गया। उपर्युक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य स्थल हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 11-09-2014 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया था उसके बाद भी अभ तक न तो कार्य के सम्पादन हेतु निविदा आमंत्रित कि गयी है और न ही कार्य प्रारम्भ किया गया। आगे जाँच मे पाया गया कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु तीसरी बार डी.पी.आर. तैयार की गयी है जिसकी लागत रु. 2014.42 लाख आंकी गयी है। आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कार्य पर ड्राईंग, डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिंग में रु. 323586.00 की धनराशि व्यय की गयी है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य स्थल नदी के किनारे होने के कारण मा. उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों के अनुसार नदी किनारे के कार्यों में रोक लगा दी गई थी। कार्यालय द्वारा स्थल परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया और शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। चूंकि निर्माण की निविदा इलेक्ट्रोनिक माध्यक से की जानी है जिस कारण निविदा प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाई है। जल्दी की कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य है क्योंकि उक्त कार्य की ड्राईंग, डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिंग हो चुकी है फिर भी न तो लंबी अवधि से निविदा की गयी है और न ही कार्य प्रारम्भ किया गया है परिणामस्वरुप लगभग रु. 46.77 लाख की धनराशि विभाग के पास लंबी अवधि से अवरुद्ध पड़ी है एवं ड्राईंग डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिंग में रु. 323586.00 की धनराशि का व्यय अलाभकारी है।

अतः रु. 46.77 लाख की धनराशि का अवरुद्ध एवं रु. 323586.00 लाख की धनराशि का अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(अ)

प्रस्तर 2:- अवस्थापना विकास निधि के तहत रु. 21.96 लाख की धनराशि अवरुद्ध रहना एवं रु. 0.78 लाख का व्यय निष्फल होना।

अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत वर्ष 2015-16 में नुमाईश खेत के पास वेणी माधव मंदिर के बगल में पार्किंग का निर्माण किया जाना था। शासन के पत्र संख्याः 984/आईवी(2) श.वि.-2016-80(सा.)14 के द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन हेतु शासन ने रु. 56.87 लाख का आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शासन ने रु. 22.75 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद बागेश्वर को दिनांक 07.06.2016 को निर्गत की गयी।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्राप्त धनराशि को दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण व्यय किया जाना था एवं कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता का प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जाना था।

उपर्युक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्थानीय जनता के द्वारा कार्यस्थल पर विवाद होने के कारण कार्य अभि तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया है जबकि ड्राईंग, डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिंग तथा मानचित्र बनाने पर रु. 79383.00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है। विभाग द्वारा उक्त कार्य के सम्बंध मे अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड बागेश्वर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया जिसने अपनी जांच आख्या में बताया कि चयनित कार्यस्थल पर मंदिर के समीप बच्चा पार्क में कार पार्किंग का निर्माण तकनीकी रुप से एवं मा. उच्चन्यायालय के आदेश के क्रम में उपर्युक्त नहीं है उपर्युक्त के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य स्थल पर जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है जिस कारण उक्त स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा, जल्दी ही अन्य स्थल चयनित करके कार्य को संपादित किया जायेगा। जब इकाई से पूछा गया कि कार्य स्थल पर ड्राइंग, डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिंग तथा मानचित्र बनाने पर रु. 79383.00 की धनराशि क्यों व्यय कि गयी तो इकाई ने बताया कि यह कार्य विवाद होने से पूर्व कर लिया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-vi के नियम 378 के अनुसार कार्य प्रारम्भ से पूर्व विवाद रहित कार्य स्थल का चयन किया जाना चाहिए था। उक्त कार्य पर धनराशि व्यय करने से पूर्व पहने विवाद रहित कार्य स्थल का चुनाव नहीं किया गया बल्कि मानचित्र, ड्राइंग-डिजाइन, एवं सोईल टेस्टिगं पर रु. 79383.00 की धनराशि व्यय की गयी थी जो उक्त कार्य पर निष्फल व्यय है। इसके अलावा रु. 21.96 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध पड़ी है।

अतः रु. 21.96 लाख की धनराशि का अवरुद्ध एवं रु. 78383.00 की धनराशि का निष्फल व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(अ)

प्रस्तर 3:- पार्किंग के अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क कम लगाने से रु. 22869.00 की धनराशि का राजस्व की हानी।

स्टाम्प एक्ट अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(बी) के अनुच्छेद 35 एवं एक्ट की धारा 1(18) तथा मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2011 एवं कार्यालय महनिरीक्षक निवंधक उत्तराखंड़ के पत्र संख्या-375/दिनांक 13.07.2012 के अनुसार नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, एवं नगर पंचायतों में जो भी स्वयं की आय वृद्ध हेतु ठेके दिये जाते है जैसे-पार्किंग, हाट बाजार आदि, उसमें सम्पूर्ण धनराशि का 2% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाना जाएगा।

नगर पालिका परिषद बागेश्वर में पार्किंग ठेके से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया की नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में जो पार्किंग के ठेके किये गये उसमें 2% के स्थान पर केवल रु. 100.00 के स्टाम्प लगाया गया है जिसके कारण रु. 22869.00 के राजस्व की हानी हुयी जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	पार्किंग स्थल का नाम	अनुबंध की राशि	वास्तविक स्टाम्प शुल्क	लिया गया शुल्क	अंतर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
कुल योग					

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जे पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी नहीं होने के कारण स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2% के वृद्धि के सम्बन्ध में वर्ष 2012 में महानिरीक्षक निबंधक उत्तराखण्ड़ द्वारा निर्देश जारी किये गए थे। इकाई द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।